दिनांक-05.01.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन प्रगति यात्रा से संबंधित बागमती नदी पर <u>निर्मित तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही</u>

दिनांक-05.01.2026 को सम्पन्न मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों/संवेदक/संवेदक के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए:-

1. श्री वरूण कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।
3. श्री विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।
4. श्री सियाराम पासवान, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी।
5. श्री भास्कर कुमार, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी।
6. श्री शाहिद कमाल, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर।
7. श्री विपिन कुमार, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर।
8. श्री मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-18, पटना।
9. श्री मयंक अग्रवाल, निदेशक, मेसर्स जी.ए. इन्फ्रा प्रा० लि०।
10. श्री सुरेन्द्र कुमार, मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन के प्रतिनिधि।
11. मो० माजिद अब्बास खान, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स गावर कन्सट्रक्शन।

बैठक के दौरान की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् है:-

- **बागमती बायां तटबंध के कि.मी. 0.00 से 7.27, बायां एफलक्स बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 8.04, दायें तटबंध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 9.72, दोआब तटबंध के कि.मी. 9.00 से कि.मी. 10.00, बैरगनिया रिंग बांध के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 6.60 का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य।**

1. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन के क्रम में प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य तथा प्री-लेवल कार्य पूर्ण किये जा चुके है। साथ ही शीट प्रीपरेशन का कार्य भी पूर्ण है एवं मिट्टी का कार्य 6,00,937 M^3 के विरूद्ध लगभग 1,65,000 M^3 कार्य किया जा चुका है। साथ ही प्रोटेक्शन कार्य में 48,62,000 अदद् जियो बैग के विरूद्ध 2,05,200 अदद् जियो बैग का कार्य किया जा चुका है। मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि योजना की भौतिक प्रगति 08 प्रतिशत है एवं वित्तीय प्रगति 6.27 प्रतिशत है।
2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इस योजना में वास्तविक रूप से बाधक विद्युत पोलो की संख्या 178 अदद् है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि वास्तविक रूप से बाधक विद्युत पोलों की सूची संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त विद्युत कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी को उपलब्ध करा दिया गया है एवं उनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिया गया है। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में 32.63 कि.मी. के विरूद्ध लगभग 26.00 कि.मी. कार्यस्थल इस बाधा से मुक्त है।
3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इस योजना में वास्तविक रूप से बाधक वृक्षों की संख्या लगभग [illegible] अदद् है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा [illegible]

सीतामढ़ी को उपलब्ध करा दी गयी है एवं वृक्ष पातन के उपरान्त वृक्षों को रखने हेतु बागमती अवर प्रमंडल, शिविर परिसर, बैरगनिया को चिन्हित कर इसकी सूचना डी.एफ.ओ., सीतामढ़ी को उपलब्ध करा दी गयी है। वर्तमान में 32.63 कि.मी. के विरूद्ध लगभग 9.75 कि.मी. कार्यस्थल इस बाधा से मुक्त है।

4. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि योजना अन्तर्गत प्रोटेक्शन कार्य में प्रयुक्त होने वाले Local Sand का परमिट जिला खनन पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ जिला प्रशासन, सीतामढ़ी से प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

❖ इस संबंध में निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी 02 (दो) दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए Local Sand के परमिट प्राप्त करने हेतु अनुरोध करेंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के माध्यम से डी.एफ.ओ., सीतामढ़ी के साथ बैठक कर वृक्ष पातन हेतु आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

❖ बैठक में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा योजनान्तर्गत प्रोटेक्शन कार्य में प्रयुक्त होने वाले Local Sand का उठाव हेतु शोल को चिन्हित कर जियो टैग लोकेशन एवं मात्रा के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि कार्य में प्रयुक्त होने वाले Local Sand का उठाव इस प्रकार किया जाय, जिससे चैनल का फारमेंशन हो सके तथा नदी को तटबंध के आक्राम्य स्थलों से Repel किया जा सके, साथ हीं नदी के बहाव क्षेत्र में वृद्धि हो सके। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इसका ड्रोन फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के पहले एवं कार्य के बाद अवश्य करा लेना सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं साथ यह भी निदेश दिया गया कि योजना की भौतिक प्रगति के अनुरूप वित्तीय प्रगति प्राप्त करते हुए वर्क प्लान के अनुरूप हर हाल में प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- **बागमती नदी के दाएं तटबंध 15.24 कि.मी. से 79.00 कि.मी., बायें तटबंध के 7.27 कि.मी. से 81.19 कि.मी., भरथुआ रिंग बाँध के 0.00 कि.मी. से 2.13 कि.मी. एवं धनौर कटरा रिंग बाँध के 0.00 कि.मी. से 4.70 कि.मी. का बी.आई.एस. कोड एवं नये एच.एफ.एल. 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्यः-**

1. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि प्री-लेवल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ हीं शीट प्रीपरेशन कार्य योजना में निहित 144.00 कि.मी. के सापेक्ष 80.00 कि.मी. की लम्बाई में किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित संवेदक/संवेदक के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि योजना हेतु वर्तमान में लगभग 22.00 लाख m^3 मिट्टी कार्य के विरूद्ध 10.00 लाख m^3 मिट्टी कार्य हेतु बौरो एरिया चिन्हित किया जा चुका है तथा 4.50 लाख m^3 का माईनिंग प्लान तैयार कर संबंधित जिला खनन पदाधिकारी को समर्पित किया गया है।

2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि तटबंधों पर अवस्थित वास्तविक रूप से बाधक हो रहे विद्युत पोलों की सूची कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी, शिवहर एवं रून्नीसैदपुर द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल को उपलब्ध करा दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया है कि संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त उपलब्ध कराये गये सूचियों के अनुरूप संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राक्कलन शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लगभग 124.00 कि.मी. का कार्यस्थल इस बाधा से मुक्त है।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि तटबंध के [illegible]
[illegible]

उपरान्त वृक्षों के रखने हेतु स्थल सीतामढ़ी में परसौनी प्रखंड अन्तर्गत बागमती शिविर धोधनी, रून्नीसैदपुर में बागमती बायां तटबंध के कि.मी. 37.70 के समीप विभागीय भूमि एवं शिवहर में मोहारी, पोठिया एवं महादेवा ग्राम में विभागीय भूमि को चिन्हित कर इसकी सूचना डी.एफ.ओ., सीतामढ़ी/शिवहर को उपलब्ध करा दी गयी है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लगभग 67.00 कि.मी. तक का कार्यस्थल इस बाधा से मुक्त है।

❖ बैठक में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा योजनान्तर्गत प्रोटेक्शन कार्य में प्रयुक्त होने वाले Local Sand का उठाव हेतु शोल को चिन्हित कर जियो टैग लोकेशन एवं मात्रा के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि कार्य में प्रयुक्त होने वाले Local Sand का उठाव इस प्रकार किया जाय, जिससे चैनल का फारमेंशन हो सके तथा नदी को तटबंध के आक्राम्य स्थलों से Repel किया जा सके, साथ हीं नदी के बहाव क्षेत्र में वृद्धि हो सके। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इसका ड्रोन फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के पहले एवं कार्य के बाद अवश्य करा लेना सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं साथ यह भी निदेश दिया गया कि योजना की भौतिक प्रगति के अनुरूप वित्तीय प्रगति प्राप्त करते हुए वर्क प्लान के अनुरूप हर हाल में प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

❖ बैठक में यह निदेश दिया गया कि कार्य में श्रमबल एवं मशीनरी की प्रतिनियुक्ति समानुपातिक कराते हुए वर्क प्लान के अनुरूप भौतिक प्रगति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- बैठक के दौरान प्रधान सचिव महोदय द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से दूरभाष पर इस संबंध में चर्चा की गयी एवं प्रगति यात्रा से संबंधित वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने हेतु डी.एफ.ओ., खनन पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से योजना की समीक्षा करने हेतु परामर्श दिया गया, जिससे कार्य में आ रही बाधाओं का निष्पादन ससमय किया जा सके।

(अनुपालनः-कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी/रून्नीसैदपुर)

- अन्य महत्वपूर्ण निदेशः-
- बैठक के क्रम में विगत् वर्ष में एन.एच.आई. एवं अन्य विभाग को नदियों से गाद/सिल्ट उठाने हेतु विभाग द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रयोक्ता विभाग द्वारा खनन से संबंधित खनन विभाग की अनुमति प्राप्त की गयी होगी, उसकी जानकारी एवं तत्संबंधी पत्र प्राप्त की जाय।

(अनुपालनः-अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

- वर्तमान बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन ससमय पूर्ण करते हुए दिनांक-20.01.2026 को पुनः बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 81 /पटना, दिनांक-08-01-2026

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 81 /पटना, दिनांक-08-01-2026

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 81 /पटना, दिनांक- 08-01-2026

प्रतिलिपिः-मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी/ शिवहर/ रून्नीसैदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8/01/2026

(वरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-34/2025 81 /पटना, दिनांक- 08-01-2026

प्रतिलिपिः-कार्यपालक अभियंता, आई.टी., जल संसाधन विभाग को बैठक की कार्यवाही विभागीय बेवसाईट में अपलोड किये जाने हेतु निदेशित।

8/01/2026

(वरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख (बाढ़)